Request the government to fully implement the LARR Act 2013

सुश्री इकरा चौधरी **(**कैराना**) :** महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक बेहद गंभीर किसानों की समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूँ ।

अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम, 2013 को पूरे तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्कल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना जरूरी होता है । मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरीडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु वर्ष 2013 से अभी तक सर्कल रेट में उन्हें मुआवजे में फायदा नहीं मिल पा रहा है ।

सहारनपुर व बागपत के सर्कल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं । इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है, वह बहुत कम है । जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अंबाला ग्रीन हाईवे में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है । सर, मुझे दो मिनट दीजिए ।

माननीय सभापति **:** दो मिनट कहां है?

सुश्री इकरा चौधरी **:** सर, एक मिनट दे दीजिए । यहां किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है । उनको उनकी जमीन की कैटेगरी बदल कर उन्हें उपजाऊ जमीन का? (व्यवधान)